झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या......51........ वर्ष 20..22..

विविधवाद / प्रथम अपील

DISPOSED
05/07/2022.

अपीलकर्त्ता श्री संदीप कुमार शर्मा
ग्राम-कवाला, पो० छत्तरपुर
प्रखण्ड- हरिहरगंज, पलामू

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी
पलामू

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	शिकायतकर्ता श्री संदीप कुमार शर्मा, ग्राम–कवाला, पो0–छत्तरपुर, प्रखण्ड–हरिहरगंज, पलामू का शिकायतपत्र आयोग को व्हाट्सएप के माध्यम से दिनांक–27.04.2022 को आयोग को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा राशन कार्ड हेतु किये गये ऑनलाईन आवेदन 2 माह से जिला आपूर्ति पदाधिकारी के स्तर पर लंबित रहने का उल्लेख किया गया था। प्राप्त शिकायत पत्र पर कार्रवाई हेतु आयोग के पत्रांक–WA/124/2022 दिनांक–27.04.2022 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को Digital माध्यम से पत्र प्रेषित करते हुए कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया था। कार्रवाई प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण उक्त मामले की सुनवाई पलामू जिला भ्रमण के दौरान आयोग द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु वाद संख्या–51/2022 प्रारम्भ की गई। दिनांक–04.07.2022 को शिकायतकर्ता द्वारा ई–मेल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया गया कि उनके शिकायत का समाधान हो गया है, अतः शिकायत बन्द कर दिया जाय। आहार पोर्टल पर जाँच में यह पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा किये गये आवेदन के फलस्वरूप उनका राशन कार्ड निर्गत कर दिया गया है। अतः उपरोक्त के आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। Sd/- 5.7.22	